सिक्किम विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद की दिनांक 13 नवंबर 2013 को बराद सदन भवन, 5 माइल में आयोजित 14 वीं बैठक के कार्यवृत्त

उपस्थित सदस्यगण:

- 1. प्रो. टी बी सुब्बा, कुलपति
- 2. ले. जेन. आदित्य सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम (सेवानिवृत), हरियाणा
- 3. प्रो. एस एफ पाटील, कार्यकारी निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय मामले (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण), भारती विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय, भारती विद्यापीठ भवन, लाल बहाद्र शास्त्री मार्ग, प्णे
- 4. प्रो. राजिकशोर गुप्ता, विभागप्रमुख, उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र
- 5. डा. एम पी थापा, प्राचार्य, नामची सरकारी महाविद्यालय, सिक्किम
- 6. रेव. फा. (डा.) डेनियल बारा, एस जे, प्राचार्य, लोयला शिक्षा महाविद्यालय, सिक्किम विश्वविद्यालय
- 7. प्रो. प्रताप चंद्र प्रधान, डीन, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी का स्कूल, सिक्किम विश्वविद्यालय
- 8. डा. धनीराज छेत्री, छात्र कल्याण का डीन, सिक्किम विश्वविद्यालय
- 9. डा. एस के ग्रुड, प्रभारी परीक्षा नियंत्रक, सिक्किम विश्वविद्यालय
- 10. डा. सुबीर मुखोपाध्याय, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख, भौतिकी विभाग, सिक्किम विश्वविद्यालय
- 11. डा. सोहेल फिरदौस, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रम्ख, भूगोल विभाग, सिक्किम विश्वविद्यालय
- 12. डा. एन के पासवान, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख, शांति एवं संघर्ष अध्ययन तथा प्रबंधन विभाग, सिक्किम विश्वविद्यालय
- 13. डा. वी कृष्णा अनंत, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख, इतिहास विभाग, सिक्किम विश्वविद्यालय
- 14. डा. ए एन शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख, वाणिज्य विभाग, सिक्किम विश्वविद्यालय
- 15. डा. एन सत्यनारायण, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख, वनस्पतिशास्त्र विभाग, सिक्किम विश्वविद्यालय
- 16. डा. मनीष, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग, सिक्किम विश्वविद्यालय
- 17. डा. कविता लामा, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख, नेपाली विभाग, सिक्किम विश्वविद्यालय
- 18. डा. एस मणिवन्नान, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख, होर्टीकल्चर विभाग, सिक्किम विश्वविद्यालय
- 19. डा. मनेश चौबे, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख, अर्थशास्त्र विभाग, सिक्किम विश्वविद्यालय
- 20. डा. अमिताभ भट्टचार्या, एसोसिएट प्रोफेसर, भौतिकी विभाग, सिक्किम विश्वविद्यालय
- 21. प्रो ए एस चंदेल, कार्यवाहक पुस्तकालयाध्यक्ष, सिक्किम विश्वविद्यालय
- 22. श्री टी के कौल, रजिस्ट्रार, सिक्किम विश्वविद्यालय

आरंभ में कुलपति ने परिषद के सभी सदस्यों विशेषकर इनकी 14वीं बैठक में उपस्थित हुए बाह्य सदस्यों के प्रति खादा पहनाकर स्वागत किया।

- 1. शैक्षणिक परिषद की 13वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि शैक्षणिक परिषद की 13वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि कर ली गई थी।
- शैक्षणिक परिषद की 13वीं बैठक के कार्यवृत्त पर एटीआर परिषद की 13वीं बैठक पर एटीआर को नोट किया गया।

कट-औफ़ अंक को 40% तक नीचे लाना पड़ा।

3. रिपोर्टिंग मदं

अध्यक्ष ने विश्वविद्यालय से संबन्धित निम्नलिखित विषयों पर रिपोर्ट किया:

- 1. भारत के बार काउंसिल का अनुमोदन विश्वविद्यालय में दिनांक 14 अगस्त 2013 को भारत के बार काउंसिल से अपने अंडरग्रेजुएट विधि पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन प्राप्त किया। इस विश्वविद्यालय के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि वर्ष 2008 में एकीकृत बीए-एलएलबी-एलएलएम पाठ्यक्रम आरंभ होने के बाद से ही बीसीआई का अनुमोदन लंबित था, तथा अंतिम वर्ष के छात्र बीसीआई के अनुमोदन के बिना अपने भविष्य को लेकर उदिवग्न थे।
- 2. जुलाई 2013 में नामांकन में क्वांटम वृद्धि
 दिनांक 09 एवं 17 मार्च 2013 को आयोजित क्रमशः शैक्षणिक परिषद की 12वीं एवं कार्यकारी परिषद की
 16वीं बैठक में विश्वविद्यालय पुनरीक्षण समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया गया, जिसमें
 नामांकन नीति में परिवर्तन सम्मिलित था। यह अनेक सुधारों में से एक था जिसे समिति ने यूजीसी के
 संयुक्त सचिव डा. के पी सिंह से दिनांक 17 अक्तूबर 2012 के पत्र के प्रत्युत्तर में हाथ में लिया।
 विश्वविद्यालय के पुराने नामांकन नीति के अनुसार, भारत एवं पाँच सार्क देशों (भूटान, नेपाल, म्यांमार,
 बांग्लादेश एवं श्रीलंका) के कुछ प्रमुख समाचार पत्रों, नामांकन सूचना के संबंध में विज्ञापन प्रकाशित
 कारवाया गया था। नामांकन जांच परीक्षा भारत के 32 शहरों एवं सार्क देशों की पाँच राजधानियों में
 आयोजित की गई थी। यद्यपि यह एक खर्चीला कार्यव्यवहार (0.5 करोड़ प्रतिवर्ष से थोड़ा अधिक) था,
 जिसमें वास्तव में 200 से कम छत्रों ने प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में नामांकन लिया एवं यहाँ तक कि वर्ष
 2012-13 के दौरान कुल नामांकन क्षमता का सिर्फ 34% ही भरा जा सका जिसके लिए कुछ विभागों में

नई नामांकन नीति के अंतर्गत, नामांकन हेतु विज्ञापनों को तीन प्रमुख अँग्रेजी एवं एक हिन्दी राष्ट्रीय दैनिक एवं कुछ स्थानीय/प्रादेशिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। सीटों का आवंटन भारत सरकार के आरक्षण मानदंड के अनुसार एवं अभ्यर्थियों द्वारा उनकी अर्हता डिग्रियों में प्राप्त अंकों के आधार पर किया गया था।सिक्किम एवं इसके पास-पड़ोस के छात्रों की काउंसिलिंग विश्वविद्यालय शिक्षकों के एक समूह ने किया, जिसने नामांकन आंकड़े में हुई नाटकीय वृद्धि में अवश्य ही अवदान किया होगा। जिन छात्रों ने जुलाई 2013 में अंतिम रूप से नामांकन करवाया, उनकी संख्या 750 थी। यह 29 में से 27 विभागों में 100% दखलकारी एवं कुछ विभागों में 62% से अधिक के कट-औफ़ अंक के साथ नामांकन में हुई करीब चार-गुना वृद्धि थी। नामांकन क्षमता में वृद्धि का आंशिक कारण शिक्षण पदों के Xावीं योजना में से वर्ष 2013-14 के दौरान आरंभ किए गए 10 नए विभागों का संयोजन था। आगे, पूर्ववर्ती वर्षों के विपरीत विश्वविद्यालय के कई विभागों में सिर्फ 30 से 50 प्रतिशत आवेदकों को ही नामांकित किया जा सका एवं जिन दो विभाग में आवेदकों की उत्साहजनक संख्या के वावजूद भी पूर्णरूपेण दखलकारी प्राप्त नहीं हो सकी, वे एंथ्रोपोलोजी एवं हिन्दी हैं तथा इन दोनों की शुरुआत इसी वर्ष हुई है।

3. सिलेबसों की ड्राफ्टिंग/ प्नरीक्षण

जबिक विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रति पहुँच में वृद्धि करना यूजीसी/एमएचआरडी का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, यूजीसी/एमएचआरडी द्वारा समान रूप से निर्धारित अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य उच्चतर शिक्षा में अभिवृद्धि भी है। अतः सिक्किम विश्वविद्यालय ने, विश्वविद्यालय प्राधिकारों द्वारा मार्च 2013 में विश्वविद्यालय पुनरीक्षण समिति अनुशंसाओं की स्वीकृति के बाद, बड़े पैमाने पर 10 नए विभागों के लिए सिलेबसों की ड्राफ्टिंग एवं 9 पुराने विभागों के सिलेबसों के पुनरीक्षण कार्य को पूरी गंभीरता से लिया है। कुछ विभागों के मास्टर-स्तर एवं एमफिल/पीएचडी पाठ्यक्रमकार्य के नए/संशोधित सिलेबसों को शैक्षणिक परिषद के समक्ष 09 मार्च 2013 को प्रस्तुत किया गया एवं शेष सिलेबसों का शैक्षणिक परिषद की 13 नवंबर 2013 की बैठक में अनुमोदन किया गया।

कुछ मामलों को छोडकर, जहां सिलेबसों को हैदराबाद विश्वविद्यालय एवं पूर्वोत्तर हिल विश्वविद्यालय सदश स्थापित विश्वविद्यालयों से अंगीकृत किया गया है, सिलेबस पुनरीक्षण/ड्राफ्टिंग सिमितियों का विधिवत गठन प्रत्येक सिमिति में कम से कम एक बाह्यसदस्य के साथ किया गया। कुछ मामलों में पूर्णकालिक एवं अतिथि संकाय सदस्यों द्वारा ड्राफ्ट एवं पुनरीक्षित किए गए सिलेबसों को बाह्य विशेषज्ञों को उनकी अभ्युक्तियों एवं सुझावों के लिए भेजा गया। ये सभी वितीय रूप से खर्चीला परंतु शैक्षणिक रूप से लाभप्रद कार्यानुभव थे।

4. शिक्षकों पर छात्रों का फीडबैक

सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा की गुणता में अभिवृद्धि के प्रति उठाया गया अन्य महत्वपूर्ण चरण छात्रों का अपने शिक्षकों पर फीडबैक है। प्रायः समस्त छात्रों ने प्रश्नावली को भरते हुए अपना प्रत्युत्तर दिया। उनके फीडबैक को आने वाले सप्ताह में उनके शिक्षको को प्रेषित कर दिया जाएगा।

5. चीफ रेक्टर के समक्ष विश्वविद्यालय पर प्रस्तुतीकरण

दिनांक 04 अक्तूबर 2013 को कुलपित ने चीफ रेक्टर, सिक्किम के महामिहम राज्यपाल श्री श्रीनिवास पाटील के समक्ष विश्वविद्यालय पर तीन घंटे तक एक प्रस्तुतीकरण दिया। इस सत्र के दौरान माननीय राज्यपाल ने कैंपस विकास एवं विश्वविद्यालय के छात्रों की नियोजनीयता के लिए मूल्यवान सुझाव दिये। उन्होंने विश्वविद्यालय के विकास के प्रति सभी संभव सहायता का भी प्रस्ताव दिया।

- 6. शैक्षणिक सहभागिता हेतु एमओयू का हस्ताक्षरित किया जाना इस वर्ष जुलाई माह तक निम्नलिखित एमओयूहस्ताक्षरित किए गए:
 - ं। आईयूसीएन (प्रकृति के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ), नई दिल्ली के साथ "भारत एवं बांग्लादेश के ऊपरी एवं नीचले नदीतटीय क्षेत्रों में तीस्ता नदी प्रणाली द्वारा उपलब्ध की गई पारिस्थितिक जीवनतंत्र सेवाओं के मूल्य" पर अन्संधान हेत् एमओयू

7. कैंपस विकास

इस संबंध में हुई प्रगति सिक्किम सरकार से मिले सकारात्मक सहयोग के बावजूद भी मिश्रित रही है।

i. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2013 को सौंपे गए 265.94 एकड़ भूमिखण्ड का म्यूटेशन कार्य
समाप्त हो चुका है परंतु शेष 34.06 एकड़ भूमि सिक्किम विश्वविद्यालय को सौंपने की कारवाई पूरी नहीं
हुई है। भूमि का अधिग्रहण एवं सिक्किम विश्वविद्यालय के प्रति इसका स्थानांतरण वर्ष 2013 के अंत
तक पूर्ण होने की आशा है।

ii. ग्रामीण अपने चर्च, मंदिर एवं गुम्फा को अन्यत्र स्थापित करने को सहमत हुए हैं तथा वे कैंपस भूमि पर अपने घरों को खाली कर रहे हैं। यह आशा की जाती है कि उनमें से अधिकाश कैंपस भूमि को नवंबर 2013 के अंत तक खाली कर देंगे।

iii. परित्याग एवं पुनर्वास की प्रक्रिया धीमी परंतु शांतिपूर्ण रही है, तथा अभी तक किसी बल प्रयोग की नौबत नहीं आई है। परामर्श एवं अनुनय की रणनीति ने अंततः कार्य करना आरंभ किया है।

iv. बाउंडरी वाल के निर्माण का कार्य बह्त शीघ्र आरंभ होने वाला है।

v. विश्वविद्यालय ने अभिरुचि की अभिट्यक्ति हेतु अपने विज्ञापन द्वारा भारतीय आर्किटेक्चरल फर्मों से उत्साहजनक अनुक्रिया प्राप्त किया है। निविदा प्रस्तुत करने एवं खोले जाने की अंतिम तारीख 31.10.2013 थी। भवन निर्माण समिति ने तीन सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति का गठन इन फ़र्मों की अल्पसूचीकरण हेतु किया है, जिसके पश्चात उन्हें कैंपस एवं इसके भवनों के लिए अपनी डिजाइन प्रस्तुत करने को कहा जाएगा।

8. शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती

यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि शिक्षण पदों की एक बड़ी संख्या अभी रिक्त पड़ी है।

विश्वविद्यालय में 132 रिक्त शिक्षण पद हैं, जिनमें से सभी के लिए विज्ञापन किया गया है एवं आवेदनों की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तथापि, विश्वविद्यालय भर्ती प्रक्रिया अभी तक आरंभ करने में सक्षम नहीं हुआ है, क्योंकि इनकी चयन समितियों के लिए एमएचआरडी, भारत सरकार से विजिटर के नॉमिनी अभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं।

विश्वविद्यालय अपनी कक्षाओं का प्रबंधन आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से एक एवं भारत के विभिन्न भागों से कुछ अतिथि एवं संविदाजन्य संकाय सदस्यों की सहायता से कर रहा है। विश्वविद्यालय ने अपने स्वयं के संकाय सदस्यों को अन्य विभागों में एकीकृत पाठ्यक्रमों में एड्जंक्ट संकाय के रूप में पढ़ाने के लिए प्रवृत किया है।

9. भविष्य की योजनाएँ

यह विश्वविद्यालय अगले छः महीने के दौरान अपनी ऊर्जा निम्न क्षेत्रों में केन्द्रित करना चाहता है, (1) कैंपस की प्लानिंग एवं डिजाइनिंग,(2) रिक्त शिक्षण एवं गैर-शिक्षण पदों को भरना, एवं (3) यूजी सिलेबसों तथा राज्य में अंडरग्रेजुएट शिक्षा पुनर्व्यवस्थित करने के उद्देश्य से मूल्यांकन के मानदंडों का पुनरीक्षण करना। यह भी आशा की जाती है कि बाउंडरी वाल, रोड संयोजकता, कैंपस में विद्युत एवं जलापूर्ति में अच्छी खाशी प्रगति होगी।

4. संपुष्टि मामले

शून्य ।

5. अनुमोदन के लिए विचारार्थ मामले

i. अँग्रेजी डिग्री सिलेबस में विसंगतियाँ

शैक्ष. परि. की 13वीं बैठक में प्रो. प्रताप चंद्र प्रधान की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था, ताकि पेपर 2 एवं पेपर 9 में दो पाठों की पुनरावृत्ति के संबंध में विसंगति को दूर किया जा सके। समिति की बैठक 31 अक्तूबर को आयोजित की गई तथा अनुशंसा की गई कि पेपर 2 पूर्ववत रहेगा, जबिक पेपर 9 'सी. डे बोभर स्टौक्स' की वर्ष 1925 में प्रकाशित रचना "सिक्किम की लेपचा जाति की लोककथाएँ एवं रीतियाँ" से चयन के साथ लेपचा लोककथा पर आधारित होगा। प्रो. प्रताप चंद्र प्रधान की प्रमुखता में समिति के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

ii. सिलेबस मामले

निम्नलिखित विषयों एवं प्रोग्रामों के लिए सिलेबसों पर विधिवत विचार किया गया एवं शैक्षणिक परिषद के विचारार्थ अध्ययन के बोर्डों एवं एवं स्कूल बोर्डों दवारा अनुशंसा की गई:

क्र.सं.	विषय	प्रोग्राम(एँ)	शैक्षणिक परिषद का निर्णय
	एंथ्रोपोलो जी	एमए/एमएससी (सम्पूर्ण)	अनुमोदित
	वनस्पतिशास्त्र	एमएससी(सम्पूर्ण) एमफिल/पीएचडी	अनुमोदित अनुमोदित
	रसायनशास्त्र	एमफिल/पीएचडी	अनुमोदित
	वाणिज्य	एमकाम(॥एवं ।V) एमफिल/पीएचडी	अनुमोदित अनुमोदित
	अर्थशास्त्र	एमए/एमएससी एमफिल/पीएचडी	अनुमोदित अनुमोदित
	शिक्षा	एमए(II,IIIएवं IV)	फा.डेनियल बारा सिलेबस का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर इसे अध्यक्ष के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें
	<u>अ</u> ँग्रेजी	एमए (सम्पूर्ण)	प्रो.बी चक्रवर्ती, पंकज थापा एवं डा.शोभा शर्मा द्वारा पुनरीक्षित I एवं III सेमेस्टर हेतु सिलेबस का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया तथा सेमेस्टर II एवं IV अनुमोदित हुआ।
	भ्गोल	एमए/एमएससी एमफिल/पीएचडी	अनुमोदित अनुमोदित
	हिन्दी	एमए (सम्पूर्ण)	अनुमोदित
	इतिहास	एमए	अनुमोदित
	हार्टीकल्चर*	बीएससी	अनुमोदित
	आईआर	एमए एमफिल/पीएचडी	अनुमोदित अनुमोदित
	प्रबंधन	एमबीए(सिर्फ एवं सेमेस्टर)	अनुमोदित
	जन संचार	एमए एमफिल/पीएचडी	अनुमोदित अनुमोदित
	गणित	एमएससी	विज्ञान हेतु संबन्धित अध्ययन बोर्ड एवं स्कूल बोर्ड की एकीकृत बीएससी-एमएससी की समाप्ति के प्रति अनुशंसा अन्तरिम समाधान के तौर पर की गई,

नेपाली	†	मौलिक	जिनकी तीन वर्षों के बाद समीक्षा संकाय स्थिति सुधरने पर की जाएगी। तथापि एकीकृत बीएससी-एमएससी सेमेस्टर । एवं ।।। के वर्तमान छात्रों को एकीकृत पाठ्यक्रम के साथ निरंतरता का विकल्प दिया जायेगा। अनुमोदित
		एमए	अनुमोदित
पीसीए	:मएस	एमफिल/पीएचडी	अनुमोदित
भौतिर्व	त ी	एमफिल/पीएचडी	अनुमोदित
राजनी	तिशास्त्र	एमए	अनुमोदित
मनोवि	ो ज्ञान	एमफिल/पीएचडी	अनुमोदित
समाज	ाशा <i>स्त्र</i>	एमफिल/पीएचडी	अनुमोदित
पर्यटन	ī	एमए (सिर्फ सेमेस्टर II)	यह निर्णय लिया गया कि डा.फिरदौस की अध्यक्षता एवं डा.पासवान एवं डा.शंकर के सदस्य के रूप में एक समिति सिलेबस का अध्ययन करे एवं नवंबर 2013 के अंत तक वीसी के प्रति अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करे।
प्राणीश	शास्त्र	एमएससी (II)	अनुमोदित

^{*}हार्टीकल्चर में बीएससी, एमएससी एवं एमफिल/पीएचडी प्रोग्राम के प्रति नामांकन हेतु मानदंडों का भी अनुमोदन किया गया।

iii. पर्यटन एवं सेवा उद्योग में एनवीईक्यूएफ

शैक्षणिक परिषद की 13वीं बैठक में विश्वविद्यालय में एनवीईक्यूएफ योजना आरंभ किए जाने का यूजीसी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था। राज्य में पर्यटन उद्योग की महती संभावनाओं की दृष्टि से एवं इस दृष्टि से कि विश्वविद्यालय में पर्यटन विभाग पूर्व में ही स्थापित किया गया है, परिषद पर्यटन एवं सेवा उद्योग में आरंभ में मात्र डिप्लोमा स्तर पर बी. वीओसी प्रोग्राम का अनुमोदन किए जाने पर विचार कर सकता है। यदि अनुमोदित हुआ, तो विश्वविद्यालय को सिलेबस ड्राफ्ट करने एवं अगली एसी बैठक में इसे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जा सकता है, तािक इसे मानसून 2014 सत्र से आरंभ किया जा सके। परिषद ने विश्वविद्यालय में पर्यटन एवं सेवा उद्योग में डिप्लोमा आरंभ करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा इसपर उपयुक्त सिलेबस ड्राफ्ट करने एवं अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। iv. 'ब्रिज पाठ्यक्रम'

दिनांक 30 जनवरी 2013 को आयोजित भारत-यूके शिक्षा मंच बैठक पर अनुवर्ती कारवाई के रूप में यूजीसी के सचिव ने दिनांक 21 अक्तूबर 2013 के पत्र में कुलपितयों से यूके से एक वर्षीय मास्टर डिग्री प्रोग्राम करने के बाद वापस लौटने को इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए अध्ययन के कुछ क्षेत्रों में "ब्रिज पाठ्यक्रम' के संप्रत्ययीकरण हेत् आवश्यक फ्रेमवर्क सृजित करने" को कहा है।

परिषद ने निर्णय लिया कि संबन्धित विभागप्रमुख, स्कूल के डीन के परामर्श से यह सुझाव दें कि यूके में 1-वर्ष मास्टर डिग्री करने के पश्चात लौटने वाले किसी भारतीय छात्र को किन विषयों में कितने पेपर लेना चाहिए, परंतु यह 32 क्रेडिट से अधिक न हो।

v. पोस्टडाकटोरल अनुसंधान/ शिक्षण अनुभवों को मान्यता प्रदान करना

विज्ञान के करीब 8 संकाय सदस्य ऐसे हैं, जिन्होंने विश्वविद्यालय में भारत एवं विदेशों के प्रतिष्ठित संस्थानों में विभिन्न वर्षों के पोस्टडाकटोरल अनुभवों के साथ कार्यभारग्रहण किया है। ऐसे संकाय सदस्य अपने अनुसंधान एवं शिक्षण में पर्याप्त अनुभव लाते हैं एवं तदद्वारा विश्वविद्यालय के बेहतर शैक्षणिक मानकों के प्रति एक नए पीएचडी डिग्रीधारक की अपेक्षा अधिक अवदान करते हैं। पोस्टडाकटोरल अनुभवयुक्त शिक्षकों को आईआईटी सदृश संस्थानों में उच्चतर ग्रेड पे दिया जाता है (अनुलग्नक-4)। वास्तव में चयन समिति उच्चतर ग्रेड पे अथवा वेतनवृद्धियों की कुछ संख्या हेतु कार्यकारी परिषद के प्रति अनुशंसा कर सकते हैं, परंतु उपरवर्णित 8 संकाय सदस्य के मामले में ऐसा नहीं हो सका, जब वे सिक्किम विश्वविद्यालय के लिए चयनित किए गए थे।

परिषद ने निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक समिति गठित करने का निर्णय लिया जो कि पोस्टडाकटोरल अनुभवयुक्त शिक्षकों को लाभप्रद बनाने में सुविधा हेतु एक अध्यादेश का मसौदा तैयार करेगी:

- श्री दिवाकर कान्ज्ञ अध्यक्ष
- डा. सत्यनारायण सदस्य
- डा. स्बीर म्खोपाध्याय सदस्य
- श्री वीर मयंक सदस्य
- vi. व्यवसायिक एवं गैर-व्यवसायिक पाठ्यक्रम

कुलपित ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि कौन सा विषय एवं प्रोग्राम "व्यवसायिक पाठ्यक्रम" हैं और कौन सा नहीं, छात्र कल्याण के डीन की अध्यक्षता में एक सिमित का गठन किया, क्योंकि इसका छात्रों से प्रभारित किए जाने वाले शिक्षण शुल्क पर प्रत्यक्षतः प्रभाव पड़ता है। परिषद ने वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखीय पाठ्यक्रमों का "व्यवसायिक पाठ्यक्रमों" के रूप में अनुमोदन किया एवं अन्य सभी पाठ्यक्रम गैर-व्यवसायिक हैं:

- क. बीए-एलएलबी एवं एलएलएम
- ख. बीबीए एवं एमबीए
- ग. बीसीए एवं एमसीए
- घ. जन संचार में एमए
- ङ. चाय प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा
- च. होर्टिकल्चर में बीएससी एवं एमएससी
- vii. गणित में एकीकृत पाठ्यक्रम की समाप्ति

वर्तमान में, गणित में दो अलग-अलग बीएससी एवं दो अलग-अलग एमएससी सिलेबस प्रचालन में हैं, जिनमें से एक एकीकृत पाठ्यक्रम एवं दूसरा गैर-एकीकृत पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए है। इसपर अभी तक कोई गंभीर समस्या नहीं हुई है, क्योंकि बीएससी (गैर-एकीकृत पाठ्यक्रम) महाविद्यालयों में तथा बीएससी (एकीकृत पाठ्यक्रम) की पढ़ाई विश्वविद्यालय में होती है। आगे, एकीकृत पाठ्यक्रम के छात्रगण अब तक एमएससी स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। परंतु मानसून 2014 सत्र में विश्वविद्यालय के एक ही विभाग में गणित में एमएससी करने वाले छात्रों के दो बैच होंगे, जिनमें से एमएससी गणित के दो भिन्न सिलेबसों की पढ़ाई

करते ह्ए, एक एकीकृत चैनल से एवं दूसरा गैर-एकीकृत चैनल से आएंगे (अनुलग्नक-6)।

अतः परिषद विज्ञान के स्कूल बोर्ड की गणित में एकीकृत बीएससी-एमएससी की अगले शैक्षणिक सत्र से समाप्ति हेत् अन्शंसाओं को स्वीकार किए जाने पर विचार करे (अनुलग्नक-7)

परिषद ने विज्ञान के स्कूल बोर्ड की एकीकृत बीएससी-एमएससी की अगले शैक्षणिक सत्र से समाप्त किए जाने की अनुशंसा का एक अन्तरिम समाधान के रूप में अनुमोदन किया, जिसकी तीन वर्षों के बाद समीक्षा की जाएगी जब संकाय स्थिति में संभावित स्धार होगा।

viii. भुगतान मानदंड

परीक्षा विभाग विभिन्न परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए भुगतान करता, एवं प्राप्त करता, रहा है, परंतु ऐसे भुगतानों का शैक्षणिक परिषद अथवा विश्वविद्यालय के उपयुक्त प्राधिकारों से विधिवत अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। अतः परिषद प्रभारी, सीओई द्वारा मसौदाकृत एवं अनुलग्नक 8 के रूप में प्रस्तुत "भुगतान मानदंड" प्रस्ताव को अनुमोदित करने पर विचार करे।

परिषद ने प्रस्तावित आदाता एवं भुगतान योग्य राशि में कुछ सुझावों के साथ "भुगतान मानदंड" का अन्मोदन किया।

ix. परीक्षा के संचालन पर विनियमावली

विश्वविद्यालय एवं इसके साथ सम्बद्ध महाविद्यालयों में परीक्षा का संचालन एक बहुत संवेदनशील विषय है और इसे अवश्य ही सर्वाधिक विवेचित एवं दक्षतापूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए ताकि परीक्षा प्रणाली में छात्रों की आस्था अप्रभावित रहे।

इसे सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के संचालन पर एक विनियमावली प्रस्तावित किया गया है जिसे परिषद के अनुमोदन हेतु विचारार्थ अनुलग्नक 9 में प्रस्तुत किया गया है। परिषद ने प्रस्तावित विनियमावली का, संशोधन हेतु कुछ सुझावों के साथ अनुमोदन किया।

x. शिक्षकों के लिए किराया आर्थिक-सहायता

वर्तमान में 31 शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारीगण औसतन अपने मूल वेतन के 12% की दर से किराया आर्थिक-सहायता प्राप्त कर रहे हैं तथा 27 नए आवेदक एक वर्ष से अधिक समय से अपने आवेदनों पर विश्वविद्यालय के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सुविधा संविदाजन्य कर्मचारियों के लिए भी विस्तारित की गई है।

आर्थिक-सहायता का कार्यान्वयन कर्मचारी, मकान-मालिक एवं विश्वविद्यालय के बीच एक कथित त्रिपक्षीय अनुबंध के माध्यम से किया जा रहा है, जहां कर्मचारी मकान की पहचान करता है तथा विश्वविद्यालय मकान-मालिक को अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रत्येक माह किराये का भुगतान करता है तथा कर्मचारी के मासिक वेतन से एचआरए एवं नामिक लाइसन्स शुल्क की कटौती करता है। इस प्रविधि का विस्तृत विवरण अनुलग्नक 10 में प्रस्तुत किया गया है।

इस व्यवस्था से संबन्धित कई बहुत गंभीर मुद्दे हैं, जिसे उसी अनुलग्नक में विस्तारपूर्वक परिषद द्वारा विचार-विमर्श करने एवं कार्यकारी परिषद के प्रति उचित अनुशंसा करने के लिए दी गई है, क्योंकि यह न सिर्फ गैर-शिक्षण कर्मचारियों से बल्कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी संबन्धित है।

परिषद ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों को किराया आर्थिक-सहायता विस्तारित किए जाने के संबंध में वित्त समिति एवं कार्यकारी परिषद के प्रति अनुशंसा करने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमित से अन्य कोई विषय शैक्षणिक परिषद के विचारार्थ अन्य कोई विषय नहीं था। अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों के प्रति परिषद-बैठक की चर्चाओं में उनके मूल्यवान भागीदारी के लिए धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक समाप्त घोषित हुई।

हस्ता/-श्री टी के कौल रजिस्ट्रार एवं सदस्य-सचिव हस्ता/-प्रो. टी बी सुब्बा कुलपति एवं अध्यक्ष